राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1495/2014/अलवर.

मैसर्स सिनर्जी स्टील लिमिटेड,
जरिये अजीतसिंह चौहान, 55–बी रामा रोड़, नई दिल्ली. .....प्रार्थीगण.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, अलवर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी. पी. पाराशर व श्री बी.एस. रावत,
अभिभाषकगण .....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/09/2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी फर्म द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 166/2014 में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 35 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2014 सपठित संशोधित आदेश दिनांक 01.07.2014 के विरूद्ध मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी फर्म द्वारा प्लॉट संख्या 5, एम.आई.ए., अलवर क्षेत्रफल 44000 वर्गमीटर को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय से जरिये निलामी में रूपये 2,77,00,000/– (रूपये दो करोड़ सत्तेतर लाख) में क्रय किया गया। राजस्थान वित्त निगम द्वारा उक्त प्लॉट का आवंटन पूर्व में मैसर्स बंसल पाईप प्रा0 लि0 को किया गया था। मैसर्स बंसल पाईप प्रा0 लि0 द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किये जाने पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा उक्त प्लॉट को अधिग्रहित करते हुए मैसर्स शंकर स्टील प्रा0 लि0 को आवंटित किया गया। मैसर्स शंकर स्टील प्रा0 लि0 द्वारा भी ऋण अदायगी नहीं किये जाने पर, राजस्थान वित्त निगम द्वारा पुनः उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहित किया गया। इस पर मैसर्स शंकर स्टील द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निलामी में उक्त सम्पत्ति प्रार्थी इकाई को विक्रय करते हुए जरिये ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रार्थी इकाई के पक्ष में दस्तावेज का निष्पादन किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेशों की पालना में प्रार्थी इकाई द्वारा दस्तावेज का निष्पादन करवाया

लगातार.....2

जाकर मालियत निर्धारण हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रार्थना—पत्र कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 14.05.2014 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 30.06.2014 पारित करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत निलामी की राशि अनुसार रूपये 2,77,00,000/— निर्धारित की जाकर इस पर मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्ठि संख्या 17 अनुसार 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 13,85,000/— एवं शास्ति रूपये 13,85,000/— तथा साथ ही संशोधित आदेश दिनांक 01.07.2014 पारित करते हुए मुद्रांक शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत सरचार्ज की राशि रूपये 1,38,500/— सहित कुल मांग रूपये 29,08,500/— की मांग सृजित की गयी। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी इकाई द्वारा यह निगरानी मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी इकाई द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति निलामी में क्रय की गयी है। इससे पूर्व के आवंटियों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किये जाने के फलस्वरूप माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जरिये ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रार्थी के पक्ष में दस्तावेज का निष्पादन किया है। प्रश्नगत सम्पत्ति स्पष्ट रूप से रूग्ण इकाई के रूप में शुमार होती है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (28)एफडी/टैक्स डिवी/2010—66 दिनांक 25.08.2010 के अनुसार मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट की पात्र है। प्रार्थी इकाई के सम्बन्ध में ही आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर ने पत्र क्रमांक एफ.33(610)CI/IIB/RIPS-10/STAMP/2014 दिनांक 23.06.2014 जारी किया गया है, जिसमें प्रार्थी इकाई को मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट सम्बन्धी पात्रता प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा उक्त अधिसूचना एवं पत्र को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी इकाई पर पूर्ण दर से मुद्रांक शुल्क का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

4. विद्वान अभिभाषकगण ने अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी इकाई द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत एवं मुद्रांक शुल्क की देयता सम्बन्धी निर्धारण का निवेदन किया गया था। कलेक्टर (मुद्रांक) ने मुद्रांक शुल्क की देयता के साथ ही मुद्रांक शुल्क के बराबर शास्ति का भी आरोपण अविधिक रूप से किया गया है, क्योंकि धारा 35 में शास्ति आरोपित किये जाने सम्बन्धी

लगातार.....3

कोई प्रावधान नहीं है। धारा 35 के तहत केवल सम्पत्ति की मालियत एवं उस पर देय मुद्रांक शुल्क की देयता का निर्धारण किया जाता है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 01.07.2014 को संशोधित आदेश जारी करते हुए मुद्रांक शुल्क पर सरचार्ज का आरोपण भी अविधिक रूप से किया गया है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषकगण ने प्रार्थी इकाई की निगरानी स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी द्वारा दस्तावेज के पंजीयन हेतु बाध्यकारी रूप से जमा करवाई गई अधिक राशि लौटाये जाने हेतु निवेदन किया।

5. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जरिये निलामी सम्पत्ति क्रय की गयी है, जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थी इकाई को मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार प्रार्थी इकाई द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2007 की पालना में दिनांक 14.05.2014 को डीड ऑफ असाईनमेंट का निष्पादन किये जाने के आधार पर शास्ति का आरोपण भी उचित प्रकार किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी इकाई की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित अधिसूचना एवं आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र का भी अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि विवादित सम्पत्ति राजस्थान वित्त निगम द्वारा पूर्व में मैसर्स बंसल पाईप प्रा0 लि0 एवं मैसर्स शंकर स्टील प्रा0 लि0 को आवंटित की गयी थी, किन्तु उक्त दोनों इकाईयों द्वारा राजस्थान वित्त निगम का ऋण अदा किये जाने में विफल रहने पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा सम्पत्ति को अधिग्रहित कर लिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत इकाई निश्चित रूप से रूग्ण इकाई के रूप में शुमार होती है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स डिवी/2010–66 दिनांक 25.08.2010 के अनुसार RIPS-2010 के तहत प्राधिकृत इकाईयों को मुद्रांक शुल्क की देयता में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। अधिसूचना निम्न प्रकार है :–

लगातार.....4

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, Dated : 25.08.2010

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the Stamp Duty chargeable on the instrument of purchase or lease of land and any construction/improvement on such land for the purpose of setting up an enterprise, **as declared eligible by the prescribed authority under the Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2010, shall be redued by 50%.**

[No.F.12(28)FD/Tax Div./2010-66]
By Order of the Governor,
Sd.
(Bhawani Singh Detha)
Deputy Secretary to Government

8. इसी सन्दर्भ में आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्र क्रमांक एफ.33(610)CI/IIB/RIPS-10/STAMP/2014 दिनांक 23.06.2014 से प्रार्थी इकाई के पक्ष में पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करते हुए महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं उप–पंजीयक, अलवर को पत्र जारी करते हुए प्रार्थी इकाई को RIPS-2010 के तहत पात्र इकाई घोषित करते हुए मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। पत्र निम्न प्रकार है :–

Government of Rajasthan
Office of the Commissionerof Industries
Udyog Bhawan, Tilak Mark, Jaipur-302005
FORM - II
[See Clause 6 A {b}]
Entitlement Certificate
(For Exemption from Stamp Duty)
(Under Rajasthan Investment Promotion Scheme-2010)

Book No.1
S.No. 287

It is certified that M/s Synergy Steels Limited, whose application for the project manufacturing of Wire Rod at Plot No. 5-SPL, MIA, Alwar (measuring area 44000 Sq.mts.), has been registered at No. 287 dated 13.06.2014 and based on his declaration, he is entitled to avail exemption as under :

(i)	**50% of the Stamp Duty**	**Under Notification No. F.12{28}FD/Tax Div/ 2010-66 Dated 25.08.2010**

लगातार.....5

This Certificate shall be valid for two years or up to the date of expiry of the operative period of the Scheme, whichever is earlier.

Place : Jaipur
Date : 23/06/14

Sd.
Commissioner Industries
& Member Secretary
State Level Screening Committee
Rajasthan Jaipur

No. F.33(610)CI/IIB/RIPS-10/STAMP/2014 **Dated : 23/6/2014**

1- Inspector General, Registration & Stamp, Rajasthan, Ajmer.
2- Tehsildar/Sub Registrar, Alwar-II, Alwar
3- M/s Synergy Steels Limited, Regd Office: 55-B, Rama Road, Industrial Area, New Delhi-115015

Sd.
Commissioner Industries
& Member Secretary
State Level Screening Committee
Rajasthan Jaipur

9. राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 एवं आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र दिनांक 23.06.2014 के अनुसार प्रार्थी इकाई मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता रखती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त अधिसूचना एवं पात्रता प्रमाण–पत्र को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी इकाई पर पूर्ण दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 13,85,000/– का निर्धारण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता, जबकि प्रार्थी इकाई पर मुद्रांक शुल्क की देयता रूपये 6,92,500/– ही बनती है।

10. इसी प्रकार प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि प्रार्थी इकाई द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में जरिये ऑफिशियल लिक्विडेटर निष्पादित डीड ऑफ असाईनमेंट की मालियत के निर्धारण हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थना–पत्र मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा 35 के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) केवल प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत का निर्धारण एवं इस पर देय मुद्रांक शुल्क की देयता का ही निर्धारण कर सकते हैं। मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 निम्न प्रकार है :–

35. Adjudication as to proper stamp.-

(1) When any instrument, whether executed or not and whether previously stamped or not, is brought to the Collector, and the person bringing it applies to have the opinion of that officer as to the duty, if any, with which it is chargeable, and pays a fee of such amount (not exceeding fifty rupees and not less than ten rupees) as the Collector may in each case direct, the Collector shall determine the duty, if any, with which in his judgment, the instrument is chargeable.

लगातार.....6

(2) For this purpose the Collector may require to be furnished with an abstract of the instrument, and also with such affidavit or other evidence as he may deem necessary to prove that all the facts and circumstances affecting the chargeability of the instrument with duty, or the amount of the duty with which it is chargeable, are fully and truly set forth therein, and may refuse to proceed upon any such application until such abstract and evidence have been furnished accordingly:

Provided that, -

(a) no evidence furnished in pursuance of this section shall be used against any person in any civil proceeding, except in an inquiry as to the duty with which the instrument to which it relates is chargeable; and

(b) every person by whom any such evidence is furnished shall, on payment of the full duty with which the instrument to which it relates, is chargeable, be relieved from any penalty which he may have incurred under this Act by reason of the omission to state truly in such instrument any of the facts or circumstances aforesaid.

(3) Where the Collector has reason to believe that the market value of the property has not been truly set forth in the instrument brought to him for determining the duty under sub section (1) he may, after such inquiry as he may deem proper and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person bringing the instrument, determine the market value of such property for the purpose of duty

11. उक्त धारा में शास्ति आरोपित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 35 के तहत मालियत निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित करते हुए मुद्रांक शुल्क के बराबर शास्ति का आरोपण किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा मुद्रांक शुल्क के बराबर आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

12. जहां तक कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 01.07.2014 पारित करते हुए देय मुद्रांक शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज का आरोपण किया गया है, वह आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। प्रार्थी इकाई पर प्रश्नगत दस्तावेज के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क की देयता रूपये 6,92,500/– होती है, जिस पर 10 प्रतिशत सरचार्ज की राशि रूपये 69,250/– होती है, जिसकी प्रार्थी पर देयता बनती है।

लगातार.....7

13. परिणामस्वरूप प्रार्थी इकाई की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रार्थी पर मुद्रांक शुल्क रूपये 6,92,500/–; सरचार्ज रूपये 69,250/–, पंजीयन शुल्क रूपये 50,000/– एवं अन्य देय शुल्क रूपये 300/– सहित कुल रूपये 8,12,050/– की देयता बनती है। प्रार्थी इकाई द्वारा जरिये रसीद संख्या 2014003461 दिनांक 03.07.2014 रूपये 29,08,500/– एवं जरिये रसीद संख्या 2014003530 दिनांक 08.07.2014 रूपये 50,300/– कुल रूपये 29,58,800/– कार्यालय उप–पंजीयक, अलवर–II में जमा कराये गये हैं। अतः प्रार्थी इकाई को बाद सत्यापन अधिक जमा करवाई गयी राशि रूपये 21,46,750/– लौटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।

06.09.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

06.09.2016

(मदन लाल)
सदस्य